	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 28, मंगलवार, *शाके* 1945-अप्रेल 18, 2023 *Chaitra 28, Tuesday , Saka 1945- April 18, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 02, 2023

संख्या प.4(21) कृषि/ग्रुप-2/2022 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक प.4(21) कृषि/ग्रुप-2/2022 जयपुर, दिनांक 14.10.2022 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति संगरिया के मण्डी क्षेत्र में से पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ की 29 ग्राम पंचायते क्रमशः सालीवाला, मल्लडखेडा, साबुआना, गुडिया, खाराखेडा, सहारणी, कुलचन्द,, नाईवाला, बशीर, चन्दुरवाली, पन्नीवाली, पीरकामडिया, सूरेवाला,टिब्बी, सलेमगढ मसानी, शेरेकां, 2 केएसपी, 4 केएसपी, राठीखेडा, सिलवाला खुर्द, तलवाडा, मसीतावाली, बेहरवाला, डबलीकलां, मेहरवाला, मिर्जेवाली मेर, रामपुरा उर्फ रामसरा, डबलीखुर्द व चाहुवाली का समस्त क्षेत्र एवं इनमे अवस्थित गौण मण्डी यार्ड तलवाडा को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति, टिब्बी के नाम से स्थापित किये जाने के आशय की घोषणा की गई थी।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति संगरिया के क्षेत्र में से पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ की 29 ग्राम पंचायते क्रमशः सालीवाला, मल्लडखेडा, साबुआना, गुडिया, खाराखेडा, सहारणी, कुलचन्द,, नाईवाला, बशीर, चन्दुरवाली, पन्नीवाली, पीरकामडिया, सूरेवाला,टिब्बी, सलेमगढ मसानी, शेरेकां, 2 केएसपी, 4 केएसपी, राठीखेडा, सिलवाला खुर्द, तलवाडा, मसीतावाली, बेहरवाला, डबलीकलां, मेहरवाला, मिर्जेवाली मेर, रामपुरा उर्फ रामसरा, डबलीखुर्द व चाहुवाली का समस्त क्षेत्र एवं इनमे अवस्थित गौण मण्डी यार्ड तलवाडा के सम्पूर्ण क्षेत्र को पृथक करने की घोषणा करती है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार घोषणा करती है कि राजस्थान राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ की 29 ग्राम पंचायते क्रमशः सालीवाला, मल्लडखेडा, साबुआना, गुडिया, खाराखेडा, सहारणी, कुलचन्द,, नाईवाला, बशीर,

चन्दुरवाली, पन्नीवाली, पीरकामडिया, सूरेवाला,टिब्बी, सलेमगढ मसानी, शेरेकां, 2 केएसपी, 4 केएसपी, राठीखेडा, सिलवाला खुर्द, तलवाडा, मसीतावाली, बेहरवाला, डबलीकलां, मेहरवाला, मिर्जेवाली मेर, रामपुरा उर्फ रामसरा, डबलीखुर्द व चाहुवाली का समस्त क्षेत्र एवं इनमे अवस्थित गौण मण्डी यार्ड तलवाडा का सम्पूर्ण क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति, टिब्बी का मण्डी क्षेत्र होगा।

अधिनियम की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के प्रयोग के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, टिब्बी का नियमन करती है तथा इस कृषि उपज मण्डी समिति को "द" श्रेणी में वर्गीकृत करती है।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कृषि उपज मण्डी समिति, टिब्बी को प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण राजस्व मण्डी समिति, टिब्बी के प्रथम बोर्ड के गठन होने तक कृषि उपज मण्डी समिति, संगरिया में पूर्ववत् जमा होगा तथा मण्डी समिति टिब्बी के प्रथम बोर्ड गठन होने के पश्चात उक्त जमा राशि मण्डी समिति, संगरिया द्वारा मण्डी समिति टिब्बी को स्थानान्तरित की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।